आत्मनिर्भर

लखनऊ में 2.10 लाख से अधिक कंपनियां पंजीकृत, बढ़ी उद्यमिता की रफ्तार

एमएसएमई को बढ़ावा : 45,158 करोड़ कर्ज बांटने का लक्ष्य तय

आशीष गुप्ता

लखनऊ। जिले में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए इस बार बैंकों ने एमएसएमई सेक्टर के लिए कर्ज का बड़ा लक्ष्य तय किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंकों ने 45,158.54 करोड़ रुपये का कर्ज बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 13,658 करोड़ रुपये अधिक है।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की जिला स्तरीय रिपोर्ट के अनुसार, 42,506 लाभार्थियों को इस वित्तीय वर्ष में एमएसएमई के तहत कर्ज दिया जाएगा। पिछले साल तय 31,500.14 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 31 मार्च 2025 तक केवल 21,583 करोड़ रुपये का ही कर्ज वितरित हो सका था, जो लक्ष्य का 68.52 प्रतिशत है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि एमएसएमई सेक्टर में कर्ज वितरण बढ़ने के साथ ही जिले में लघु उद्योगों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। अर्थ एवं संख्या प्रभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, 2022-23 में प्रति लाख जनसंख्या पर 700 लघु उद्योग थे, जो 2023-24 में बढ़कर 887 हो गए। (संवाद)

■ **उद्यमिता के नए अवसर भी तेजी से खुल रहे:** लखनऊ में एमएसएमई के तहत 2.10 लाख से ज्यादा कंपनियां पंजीकृत हैं। इनमें से 40 हजार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं, जबकि 1.73 लाख कंपनियां सर्विस सेक्टर से जुड़ी हैं। बढ़ते कर्ज वितरण के साथ ही जिले में रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर भी तेजी से खुल रहे हैं। (संवाद)

रिपोर्ट में दावा : जिले में लघु उद्योगों की संख्या में भी तेजी से हो रहा है इजाफा

एक नजर में

श्रेणी	संख्या	कर्ज
एमएसएमई	42506	45158.54 करोड़
फार्म क्रॉप लोन	164778	2058.94 करोड़
क्रेडिट फार्म टर्म लोन	65470	1195.53 करोड़
एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर	5016	276.62 करोड़
एग्री एसिलरी	1738	294.75 करोड़

... तो पांच लाख लोगों को रोजगार मिलेगा

आईआईए के चेयरमैन विकास खन्ना बताते हैं कि छोटे बड़े 45000 से ज्यादा उद्योग अगर लगते हैं, तो इससे आने वाले साल में करीब पांच लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। कर्ज देने के मामले में बैंकों को प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए।

केंद्र व राज्य सरकार की रोजगारपरक योजनाओं के जरिये भी जिले में उद्यम को बढ़ावा मिला है। ऐसी योजनाएं व उनमें निहित सब्सिडी निम्न है।

1- सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना में 11 लाख तक सब्सिडी

■ उद्योगों में नई तकनीकी मशीनों की खरीदारी पर लागत का 50 फीसदी (अधिकतकम 5 लाख) सब्सिडी, कर्ज लेने पर ब्याज पर एक लाख की, प्रमाणन पर 2 लाख तक की और परामर्श व ब्रांडिंग पर अधिकतम 3 लाख की सब्सिडी दी जाती है।

2- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 25 फीसदी सब्सिडी।

■ योजना के तहत मैन्युफैक्चरिंग में 25 लाख, सर्विस सेक्टर में 10 लाख तक के कर्ज की व्यवस्था। 25 प्रतिशत मार्जिन मनी के तहत उद्योग में अधिकतम 6.25 लाख। सेवा क्षेत्र में अधिकतम 2.50 लाख की सहायता।

3- ओडीओपी वित्त पोषण योजना

■ योजना के तहत 1.50 करोड़ से ज्यादा तक के लागत के प्रोजेक्ट में अधिकतम 20 लाख तक की मार्जिन मनी की सहायता। 50 लाख की लागत पर 6.25 लाख, 50 लाख से 1.50 करोड़ के बीच की लागत पर अधिकतम 10 लाख की मार्जिन मनी।

4- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान

योजना के तहत बिना कर्ज व गारंटी के 5 लाख तक का कर्ज। 10 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार तक की सब्सिडी की व्यवस्था है।

5- पीएम मुद्रा योजना के तहत 20 लाख तक के कर्ज की व्यवस्था।

6- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम नए सूक्ष्म उद्यम के लिए मैन्युफैक्चरिंग में 50 लाख तो व्यवसाय या सेवा क्षेत्र में 20 लाख तक का कर्ज। 15 से 35 प्रतिशत तक की सब्सिडी की व्यवस्था।